[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 29th March, 2007

S.O. (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.19(E) dated the 7th January, 2004, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 10, for Purchase of land, construction of Building for school, hostel, purchase of furniture/fixture books utensils etc. Establishment of one Military school and 20 cluster level coordination centers and running of the project by Netaji Azad Hind Fauj Smarak Nyas, 10196, Mata Mandir Gali, Jhandewalan, New Delhi 110055, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Purchase of land, construction of Building for school, hostel, purchase of furniture/fixture books utensils etc. Establishment of one Military school and 20 cluster level coordination centers and running of the project which is being carried out by Netaji Azad Hind Fauj Smarak Nyas, 10196, Mata Mandir Gali, Jhandewalan, New Delhi 110055, without any change in the approved cost of Rs. 35.00 crores including a corpus fund of Rs.17.00 crores, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[No. 109/2007/ F.No. NC-274/03/2007]

J.P. Chandrakar,
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II , खण्ड-3, उपखण्ड(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च,2007

सां0 आ0 (अ0) जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 7 जनवरी,2004 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 19 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने नेताजी आजाद हिन्द फौज स्मारक न्यास, 10196, माता मन्दिर गली, झन्डेवालान, नई दिल्ली-110055 द्वारा भूमि की खरीद, स्कूल और होस्टल के लिए भवन निर्माण, फर्नीचर/फिक्चर, पुस्तक उपकरणों की खरीद आदि, एक सैनिक स्कूल और बीस समूह स्तर समन्वय केन्द्रो की स्थापना और चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2004-05 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 10 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और, जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेताजी आजाद हिन्द फौज स्मारक न्यास, 10196, माता मन्दिर गली, झन्डेवालान, नई दिल्ली-110055 द्वारा भूमि की खरीद, स्कूल और होस्टल के लिए भवन निर्माण, फर्नीचर/फिक्चर, पुस्तक उपकरणों की खरीद आदि, एक सैनिक स्कूल और बीस समूह स्तर समन्वय केन्द्रों की स्थापना और चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को अनुमोदित लागत 17.00 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित 35 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षो की आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ;

(सं0 109 /2007/फा0सं0एन0सी0274/03/2007)

जे0पी0चन्द्राकर

उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)